न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 49/2023

मुकेश कुमार शर्मा पुत्र गोपाललाल जाति ब्राहमण उम्र 52 वर्ष निवासी जोरपुरा–सुन्दरियावास तह० जोबनेर जयपुर जिला जयपुर राज० प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र छीगनलाल
2. रामेश्वर पुत्र छीगनलाल
3. शंकर पुत्र छीगनलाल
4. रामजीलाल पुत्र भंवरलाल
5. करण पुत्र भंवरलाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी जोरपुरा सुन्दरियावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।
6. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामसिंह वकील प्रार्थी

2. श्री लक्ष्मण सिंह वकील अप्रार्थी सं0 01 लगा0 05

दिनांक :– 29/09/2025

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी कि कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नबंर 360/127 रकबा 0.0253 हैक्टेयर वाकै ग्राम जोरपुरा सुन्दरियावास पटवार हल्का जोरपुरा सुन्दरियावास भु०अभि०नि०क्षे० सुन्दरियावास तह० जोबनेर जिला जयपुर राज० में स्थित है। जिस पर वादी मकानात बनाकर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी कि आराजीयात एवं अन्य खातेदार जो ख०न० 113 व 112 में आने जाने के लिए रास्ता ख० न० 360/114 प्रतिवादी स० 1 की आराजी रकबा 0.0126 वाकै ग्राम जोरपुरा सुन्दरियावास तह० जोबनेर में से होकर आवागमन कर रहा है। जो मुख्य डामर रोड़ से जुड़ा हुआ है। वादी एवं सभी खातेदार रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। जो बुर्जुगान के समय से मौके पर आवागमन हेतु खुला है। अप्रार्थीगण न० 1 ने ख० न० 360/114 की भूमि को लक्ष्मीनारायण पुत्र मालीराम जाति ब्राहमण निवासी भांकरोटा जयपुर के जरिये विक्रय पत्र दिनांक 15/12/03 को मन्नालाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ग्यारसीलाल को विक्रय की थी। जिसमें सीमाएँ पूर्व में गोपाल की जमीन, पश्चिम में जोरपुरा रोड़, उत्तर में 10 फुट रास्ता छोड़ने के बाद गाली पब्लिक स्कूल। इस प्रकार पूर्व में गन्नालाल से तकासमा करने के पश्चात् ख0न0 360/114 जमाबंदी दर्ज है। पूर्व समय से ही 10 फूट रास्ते का वादी एवं सभी खातेदार उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी आराजी ख०न 0360/114 में से रास्ते का उपयोग कर अपनी आराजीयात में आवागमन कर उपयोग कर रहा है, लेकिन प्रतिवादी स० 1 द्वारा अपने भाई प्रतिवादी स० 2 लगायत 5 से मीलकर वादी के उक्त रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं तथा रास्ते को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। तथा वादी से आये दिन प्रतिवादी स० 1 ल० 5 लड़ाई झगड़ा करते हैं एवं गाली गलौच करते हैं और रास्ते में निर्माण करना चाहते हैं। प्रार्थी के आवागमन के रास्ते पर प्रतिवादी सं० 1 ल० 5 द्वारा गीली भगत कर रास्ते को अवरुद्ध करने की गरज से दिनांक 15/6/23 को एक राय होकर रास्ते पर झाड़ीयां डाल दी तथा वादी को रास्ते से जाने में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया तब वादी ने जैसे तैसे इनको रोक दिया परन्तु प्रतिवादी स० 1 ल० 5 वादी को धमकी दी कि आयंदा उक्त रास्ते पर जबरन अनाधिकृत रूप से निर्माण कर रास्ते को बंद कर देगें तथा रास्ते को खुर्द बुर्द कर देगे। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। कि प्रतिवादी स० 1 ल० 5 ने वादी को रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर जबरन निर्माण कर उसकी स्थिती को परिवर्तित करा दिया और वादी को रास्ते में आवागमन से महरूम कर दिया तो वादी को असहनीय हानि होगी एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी व कानूनी पेचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय सपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दोराने वाद अपार्थीगण को जरिय अस्थायी निषेधाज्ञा से पांवद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में आने-जाने व आवागमन हेतु बने रास्ते में प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं रास्ते के आवागमन में किसी प्रकार से मजाहमत व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा ना ही निर्माण कर अवरोध पैदा करें ना ही रास्ते को खुर्द-बुर्द करें। ना ही रास्ते को बंद करें, मौके की यथावत स्थिती बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आएं। अप्रार्थी संख्या 6 के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लीय गयी। अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 05 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी-वादी खसरा नंबर 112 व 113 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 360/114 में से न जाकर खसरा नम्बर 361/114 में से आ जा रहे है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 360/114 में से कोई रास्ता नही है वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा०टी०ऐ० के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया था जिसमें तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें भी वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 361/114 में से ही प्रार्थी–वादी का आने जाने का माना है। खसरा. नंबर 360/114 में से कोई रास्ता पूर्व में नही रहा है और ना ही वर्तमान में रास्ता है। खसरा नंबर 360/114 में से अगर रास्ता कायम होता तो वादी मुकेश द्वारा उनवानी प्रार्थना पत्र मुकेश बनाम सत्यनारायण के नाम से धारा 251ए रा०टी०ऐ० में रास्ता नही मांगा जाता। यहां यह अंकित करना आवश्यक होगा कि वादी ने मुकेश बनाम सत्यनारायण के नाम से एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए रा०टी०ए० में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अप्रार्थी प्रतिवादी सं01 को ही बना रखा है और उस प्रकरण में खसरा नंबर 360/114 में से ही रास्ता मांगा गया है इससे ही स्पष्ट जाहिर है कि खसरा नंबर 360/114 में यदि रास्ता कायम होता तो प्रार्थी वादी द्वारा रास्ता चाहने हेतु प्रकरण दायर नहीं किया जाता। इसलिए वादी ने उक्त प्रकरण में वास्तवित तथ्यों को छिपाकर यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निशेधाज्ञा पे-रा किया है जो कि प्रथम दृश्टया की खारीज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं० 1 ने खसरा नंबर 360/114 की भूमि जरूर लक्ष्मीनारायण से खरीद की थी पर उसमें से कोई रास्ता कायम नहीं है और ना ही पूर्व में कोई रास्ता कायम था। यदि रास्ता कायम होता तो प्रार्थी–मुकेश द्वारा धारा 251ए आर०टी०ऐ० का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में क्यों पेश करता प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में तथ्यों को छिपाते हुये यह वाद पेश किया है जो कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी के रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और ना ही प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नंबर 360/114 में कभी रास्ता रहा है। वादी के आने जाने के लिए खसरा नंबर 361/114 में रास्ता बना हुआ है जिससे वादी आता जाता रहा है। दिनांक 15/6/23 का वाका वादी ने कतई मनगढन्त तथ्य वर्णित करते हुये अंकित किये है। जब वादी का आराजी खसरा नंबर 360/114 में कोई रास्ता ही आने जाने के लिए नहीं है, तो वादी को असहनीय हानि होने व अनावश्यक मुकदमें बाजी व कानूनी पैचेदगयी उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी रिकॉर्डेड खातेदारी प्रतिवादी सं01ल05 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है और ना ही किसी प्रकार का रास्ता खसरा नंबर 360/114 में कायम करवाने का अधिकारी है। वादी के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की गई और ना ही रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण किया जा रहा है। वादी खसरा नंबर 361/114 में से होकर अपनी आराजीयात पर आता जाता है और यही रास्ता वादी की आराजीयात पर आने जाने का रहा है। इसलिए वादी को असहनीय हानि होने व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेने व कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पैचेदगीयां उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ना ही वादी प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त कथन में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी–वादी खसरा नंबर 112 व 113 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 360/114 में से न जाकर खसरा नंबर 361/114 में से आ जा रहे है। खसरा नंबर 360/114 में से कोई रास्ता नहीं है वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर०टी०ए० के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया था जिसमें तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें भी वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 361/114 में से ही प्रार्थी–वादी का आने जाने का माना है। खसरा नंबर 360/114 में से कोई रास्ता पूर्व में नही रहा है और ना ही वर्तमान में रास्ता है। खसरा नंबर 360/114 में से अगर रास्ता कायम होता तो वादी मुकेश द्वारा उनवानी प्रार्थना पत्र मुकेश बनाम सत्यनारायण के नाम से धारा 251ए आर०टी०ए० में रास्ता नहीं मांगा जाता। यहां यह अंकित करना आवश्यक होगा कि वादी ने मुकेश बनाम सत्यनारायण के नाम से एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए रा०टी०ए० में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अप्रार्थी प्रतिवादी सं०1 को ही बना रखा है और उस प्रकरण में खसरा नंबर 360/114 में से ही रास्ता मांगा गया है इससे ही स्पष्ट जाहिर है कि खसरा नंबर 360/114 में यदि रास्ता कायम होता तो प्रार्थी वादी द्वारा रास्ता चाहने हेतु प्रकरण दायर नहीं किया जाता। इसलिए वादी ने उक्त प्रकरण में वास्तविक तथ्यो को छिपाकर यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो कि प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी, प्रतिवादीगण को नाजायज हैरान व परेशान करना चाहता है तथा प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नंबर 360/114 में नाजायज रूप से रास्ता निकलवाना चाहता है जबकि आराजी खसरा नंबर 360/114 में कभी रास्ता नहीं रहा है आज भी रास्ता खसरा नंबर 361/114 में ही रास्ता वादी की आराजीयात में आने जाने के लिए है उसी का वादी उपयोग उपभोग करता आया है। खसरा नंबर 360/114 में से कोई रास्ता जब है ही नहीं तो वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी–वादी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी खसरा नंबर 360/127 वाकै ग्राम जोरपुरा तहसील जोबनेर जिला

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थी के स्वामित्व की आराजीयात है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी अपनी आराजीयात में आवागमन हेतु ख0नं0 360/114 से आवागमन कर रहा है। अप्रार्थीगण का कथन है कि आराजी खसरा नंबर 360/114 में कभी रास्ता नहीं रहा है आज भी रास्ता खसरा नंबर 361/114 में ही रास्ता वादी की आराजीयात में आने जाने के लिए है उसी का वादी उपयोग उपभोग करता आया है तथा खसरा नंबर 360/114 में से अगर रास्ता कायम होता तो वादी मुकेश द्वारा उनवानी प्रार्थना पत्र मुकेश बनाम सत्यनारायण के नाम से धारा 251ए आर०टी०ए० में रास्ता नहीं मांगा जाता। प्रार्थी द्वारा अन्य एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रकरण में तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्टया अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

02 **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 360/127 वाकै ग्राम जोरपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थी के स्वामित्व की आराजीयात है। आराजी खसरा संख्या 360/114 रकबा 0.0126 हे0 वाकै ग्राम जोरपुरा के अप्रार्थी सं0 01 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, यदि अप्रार्थी सं0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के लिए ही असुविधाजनक होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

03 **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21/06/2023 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा पाठी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner